रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 762] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 1998/अग्रहायण 6, 1920

No. 762] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 1998/AGRAHAYANA 6, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1998

का. आ. 1011(अ).—यत: नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और विभिन्न नताआ क नतृत्व म इसके सभी गुट और विंग, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एन. एस. सी. एन. कहा गया है और एन. एस. सी. एन. या उसकी ओर से या उसके नाम से कार्य करने के लिए तात्पर्यित अभिकरण :—

(1) नागा प्रभुता वाले क्षेत्रों, जो भारतीय भू-भाग का हिस्सा है, को भारत से विलग करने के अपने नीतिगत उद्देश्यों की घोषणा करते रहे हैं,

(2) ऐसे क्रियाकलापों में लगे हुए हैं जो भारत की प्रभुता और अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित हैं,

(3) अपने उद्देश्य के अनुसरण में, उस अवधि में जब इन्हें विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया गया था, विधि-विरुद्ध एवं हिंसक कार्यकलापों में संलिप्त रहे हैं और इस प्रकार विधिपूर्ण रूप से गठित सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचायी है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों में डर और आतंक फैलाया है।

केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि हिंसक और विधि-विरुद्ध कार्यकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) नागालैण्ड, मणिपुर तथा अरुणाचल प्रदेश और असम के भागों में व्यवसायियों, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों समेत जनता से धन ऐंठना और अवैध कर का संग्रहण करना,

(ख) अल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी, त्रिपुरा और खासी के उग्रवादी गुटों जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही गुटों के साथ संबंध बनाए रखना और उन्हें अधिक मजबूत करना, तथा इन गुटों को समर्थन देना,

(ग) पड़ोसी देशों में आश्रय स्थलों, छुपने के ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को स्थापित करना,

(घ) विदेश स्थित गुप्त/अवैध माध्यमों से अत्याधुनिक हथियारों सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करना और उन्हें कुछ पड़ौसी देशों के रास्ते मणिपुर और नागालैंड में गुप्त रूप से भेजना,

(ङ) विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के लिए यू. एन. कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, द वर्किंग ग्रुप ऑन इनडीजिनियस पीपुल्स आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग करना,

(च) मणिपुर और नागालैंड में नागा और कुकी जनजातियों के मध्य उत्तेजक सांप्रदायिक झगड़े कराने के लिए नागा ग्रामीणों को सक्रिय सहयोग देना,

और यत:, केन्द्रीय सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर इसका भी यही मत है कि एन. एस. सी. एन. की गतिविधियां भारत की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता विरोधी हैं तथा यह एक विधि विरुद्ध संगम है।

अत: अब, विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन. एस. सी. एन.) को इसके सभी गुटों, प्रखण्डों एवं अग्रणी संगठनों सहित एक विधि विरुद्ध संगम घोषित करती है।

और यत: केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि इस पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो इसे :—

(1) अलगाववादी, विध्वंसक और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए अपने संवर्गों को लामबंद करने,

(2) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतिकूल विचारों वाली शक्तियों के सहयोग से खुलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने,

(3) विदेशों से और अधिक अवैध हथियार व गोला बारूद प्राप्त करने,

(4) विदेशी एजेंसियों के षडयंत्र से विदेशों में भारत विरोधी प्रचार के स्तर को और बढ़ाने,

(5) अपनी विधि-विरुद्ध गतिविधियों के लिए जनता से लूट खसोट करने और भारी धन और अवैध करों का संग्रह करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा।

2. और यत:, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की यह दृढ़ राय है कि एन. एस. सी. एन. और इसके सभी गुटों और विंगों को तुरन्त प्रभाव से विधि विरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है तथा तदनुसार धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के अध्यधीन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं.-7/12/98-एन. ई.-1]

पी. डी. शेनॉय, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1998

S.O. 1011(E).— Whereas the National Socialist Council of Nagaland, and all factions, wings and front organisations thereof under various leaders (hereinafter referred to as NSCN) and the agencies purporting to act in or on behalf of the NSCN or in its name:

(1) has been declaring as its policy objectives - secession of the Naga inhabited areas, a part of the territory of India, from India;

(2) has been engaging in unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(3) in pursuance of its aims and objectives engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives.

And whereas the Central Government is of the opinion that violent and unlawful activity include:

(a) extortion of funds and collection of illegal tax from the public including businessmen, traders and Government officials in Nagaland, Manipur and parts of Assam and Arunachal Pradesh;

(b) maintaining and further strengthening links with the other North-East insurgent groups like the United Liberation Front of Assam, Bodo militants, Meitei, Tripura and Khasi extremist groups and extending support to them;

(c) maintaining sanctuaries, safe havens and training camps in the neighbouring countries;

(d) procuring large number of arms and ammunition, including sophisticated ones, through clandestine/illegal channels abroad and inducting them secretly into Manipur and Nagaland through some neighbouring countries;

(e) utilising international forum like the United Nations Commission on Human

Rights, the Working Group on Indigenous peoples etc. for anti-India propaganda abroad;

(f) extending active support to Naga villagers for causing and fomenting communal clashes between the Naga and Kuki tribals in Manipur and Nagaland.

And whereas the Central Government is also of the opinion that on the basis of material placed before it, the activities of NSCN are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) including all its factions, wings and front organisations to be an unlawful association;

And whereas the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control, it will take the opportunity to:

(1) mobilise its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(2) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(3) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international borders;

(4) raise anti-India propaganda abroad in connivance with foreign agencies;

(5) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

And whereas, the Central Government, having regard to the above circumstances, is of the firm opinion that it is necessary to declare the NSCN, and all its factions, wings and front organisations to be unlawful with immediate effect and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso of sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 7/12/98-NE. I]

Dr. P. D. SHENOY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 – 1998.